


**FORM NO. III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर  
उनवान रामस्वरूप बनाम सरकार जरिये एस.एच.ओ. बडौदामेव  
किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट  
प्रा0पत्र नम्बर 15/05/2025 दायर दिनांक 15.01.2025

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.02.2025	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-14-GP-8838 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी पुलिस थाना बडौदामेव से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 180 दिनांक 27.01.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-14-GP-8838 की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। यदि उक्त वाहन को नियमानुसार सुपुर्दगी पर ऑनर को दिया जाता है तो मन थानाधिकारी को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द - बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। इसी अनुसार वकील प्रार्थी द्वारा मय प्रा0पत्र दि0 14.02.2025 को तस्दीकशुदा सुपुर्दनामा/तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश किया। शामिल पत्रावली किया गया। थानाधिकारी बडौदामेव को जब्तशुदा वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-14-GP-8838 को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफतर दाखिल हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर अलवर</p>	